

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, क्या आप कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री जी इस बात के लिए सहमत हैं कि अर्जुन सिंह जी दो मिनट के लिए बोलेंगे। माननीय सदस्यो, क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधान मंत्री जी अर्जुन सिंह जी की बात सुनने के लिए तैयार हो गये हैं। इसलिए, अर्जुन सिंह जी दो मिनट के लिए बोलेंगे। वह उनकी बात सुनने के लिए मान गए हैं। इसलिए आप कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये। बागड़ोदिया जी, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सभी नेताओं, सचेतकों और माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी दो मिनट के लिए उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो गये हैं। कृपया उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनें और उसके बाद प्रधान मंत्री जी बोलेंगे। कृपया व्यवस्था बनाये रखें। माननीय सदस्यो, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

मैं सरदार बूटा सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि वह अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रमोद महाजन जी, आप कृपया अपने दल के सदस्यों से बैठने के लिए कहें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रियरंजन दासमुंशी जी, आप कृपया अपने दल के सदस्यों से बैठने के लिए कहें। माननीय प्रधान मंत्री जी दो मिनट के लिए अर्जुन सिंह जी की बात सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। उसके बाद माननीय प्रधान मंत्री जी अपना भाषण जारी रखेंगे। मैं आपसे सभा में व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह: आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यहां आकर बोलने में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। मैं आज जो कह रहा हूँ, वह बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ। यह वह स्थान है जहां भारत के संविधान की रचना हुई है। यह वह स्थान है जहां भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने सदियों के संघर्ष का अंतिम रूप संविधान के रूप में देश को दिया है। ऐसे स्थान पर मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से ... (व्यवधान)

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती): उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण दे रहे हैं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: संजय निरूपम जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं सभा को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी नेताओं का सहयोग चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह: दो मिनट में और क्या करेंगे? क्या खड़े होकर माला जपेंगे? ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह सब क्या है? अब माननीय प्रधान मंत्री जी बोलेंगे। हमें पहले ही देर हो चुकी है। हमें और डेढ़ घंटा लगेगा।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें व्यवस्था की होती हैं। कुछ चीजें पूरे सदन की मर्यादा की होती हैं। मैं समझता हूँ कि उस मर्यादा का उल्लंघन हुआ है और इसीलिए मैं सदन से और प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री जी ने मुझे बोलने का अवसर दिया, उन्होंने इस तरह से बहुत अच्छी परम्परा कायम की। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ लेकिन सदन में प्रतिपक्ष के नेता का स्थान भी ऐसा होता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री ने जिस लहजे से उनके शब्दों को यहां लेकर अपना प्रतिरोध जाहिर करने की कोशिश की है, वह उन्हें शोभा नहीं देता है। यही मेरी मान्यता है। ... (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैंने अपने भाषण में किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है तो आप

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

उसे देख लें। उसको निकाल दें, मैं आपत्ति नहीं करूंगा। अब मेरे लहजे पर एतराज किया जा रहा है। मैं लहजा तो इस उम्र में बदल नहीं सकता। ...*(व्यवधान)* श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने मेरा यह लहजा स्वीकार किया था और उसके बाद जो पीढ़ी आई, उससे भी मुझे कभी ऐसे शब्द नहीं सुनने पड़े, जैसे इस लिखित भाषण में सुनने को मिले हैं। ...*(व्यवधान)* अभी मैंने श्रीमती सोनिया गांधी का पूरा भाषण पढ़ा नहीं है। मैं उसे उद्धृत कर रहा हूँ:

[अनुवाद]

“मुझे आशंका है कि जो लोग आज देश पर यह कानून थोपने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें न तो नैतिक सत्यनिष्ठा है और न ही उद्देश्य के प्रति ईमानदारी है।”

[हिन्दी]

यह मोरल इंटीग्रिटी क्या है? नैतिक सत्यनिष्ठा क्या है? इसका क्या मतलब है? अगर सत्ता पक्ष में ...*(व्यवधान)* इन शब्दों के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी को खेद प्रकट करना चाहिए। अपने लम्बे संसदीय जीवन में मैंने न कभी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और न कभी अभद्र आचरण किया है मगर जो हमें उपदेश दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, पोटो के बारे में ही तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं। नीयत पर शक किया जा रहा है। बोनाफाइडीज की बात हो रही है। आप अगर टाडा लाए तो ठीक है। आप अगर मीसा लाए तो ठीक है। तब हमने आपकी नीयत पर शक नहीं किया था लेकिन आज हमारी नीयत पर शक किया जा रहा है और इसीलिए मुझे पीड़ा होती है। अगर बहुमत नैतिकता से नहीं चल रहा तो फिर क्या हम अल्पमत से आशा करें कि वह नैतिकता की दुहाई दे। जिन शब्दों का यहां प्रयोग किया गया है, वैसे मैं एक सवाल को लेकर सोनिया जी की तारीफ करने वाला था, इसी भाषण में उन्होंने कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने लड़ाई मेरे खिलाफ छेड़ दी। ये व्यक्तिगत आरोप हैं। ये नीति संबंधी आरोप नहीं हैं। ये सिद्धान्तों का खंडन-मंडन नहीं हैं। यह मेरे व्यक्तित्व पर लांछन है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ...*(व्यवधान)*

मेरे सामने दो ही रास्ते हैं-या तो मैं जनता के कल्याण पर चलूँ या दबाव में आऊँ। अब यह कौन तय करेगा? आखिर मुझे जनता ने यहां पहुंचाया है और अगर मैं दबाव में काम कर रहा हूँ तो मेरे साथी भी मुझे छोड़ देंगे, मेरा दल मुझे छोड़ देगा। विरोधी पक्ष की नेत्री को यह बताने की जरूरत नहीं है कि या

तो मैं दबाव में काम करूँ, नहीं तो प्रस्थान करूँ। मैं अपने ढंग से देश की सेवा करने का प्रयास करता रहा हूँ और आगे भी करूँगा। लेकिन अगर मुझे आपत्तिजनक बातें सुननी पड़ेंगी तो मुझे उनका उत्तर देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उपाध्यक्ष हूँ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैंने कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, मेरे भाषण में से उसे निकाल दीजिए। ...*(व्यवधान)* क्यों नहीं है? तो फिर इतना मान लीजिए कि आपने जो शोर-गुल मचाया, वह बेकार था ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की भावना का आदर करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि जब पोटो के पक्ष में और पोटो के विपक्ष में सब तर्क दे दिये गये हैं, मुझे कुछ और जोड़ने की जरूरत है।

एक ही तथ्य के बारे में मुझसे जो जानकारी मांगी गई, कुछ लोगों ने कहा कि पोटो के अधीन इन पिछले पांच महीनों में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो मुझे जो अभी तक जानकारी मिली है, उसके अनुसार दिल्ली में पोटो के अधीन चार केसेज में 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक केस संसद पर हमले का है, जिसमें पोटो के अधीन चार लोग गिरफ्तार हुए हैं। दूसरा केस है जिसमें 4.28 किलोग्राम्स आर.डी.एक्स. बरामद हुआ था, 35 लाख रुपये कैश हवाला के प्राप्त हुए थे और कई और एक्सप्लोसिव मैटीरियल प्राप्त हुए थे। उसमें छः लोग गिरफ्तार हुए थे। तीसरे केस में दिल्ली में छः लोग, पांच पाकिस्तानी और एक बंगलादेशी गिरफ्तार हुए, इसमें उनसे आर्म्स और एम्युनीशन रिकवर हुए। ये छः के छः, जो कोलकाता में हमला हुआ था, उनसे संबंधित हैं। चौथे केस में यहां पर पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी ऑफ मणिपुर के दो लोग गिरफ्तार हुए। दिल्ली में ये चार केसेज हैं, जिनमें कुल मिलाकर 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं।

जम्मू-कश्मीर में जरूर 91 लोग पोटो के अधीन गिरफ्तार हुए हैं। उनमें से कितने विदेशी हैं, कितने भारत के हैं, इसका इस समय मेरे पास विवेचन नहीं है। महाराष्ट्र में एक केस में पोटो का प्रयोग हुआ है, जिसके बारे में भी अभी बाद में जानकारी मिली कि आज कोर्ट में वहां की महाराष्ट्र की सरकार ने उस पोटो के केस को विथड्रा किया है।

मैं समझता हूँ कि इसके आगे इस संयुक्त सत्र की संयुक्त बैठक का जो प्रमुख उद्देश्य है कि जब दो सदनों के बीच में मतभेद हो तो उस मतभेद के निवारण के लिए संयुक्त अधिवेशन